न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 113/2012/(2017/00067) जिला–अजमेर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मसूदा जिला अजमेर

———अपीलार्थी

बनाम

1. गोपाल पुत्र घीसा
2. हीरा पुत्र घीसा (मृतक जरिये वारिसान):–
   2/1 लालचन्द पुत्र हीरा
   2/2 भागचन्द पुत्र हीरा
   1/3 मैना पुत्री हीरा
   1/4 कमला पत्नी हीरा
3. जीवराज पुत्र घीसा
4. रामकरण पुत्र घीसा
5. रामकुंवार पुत्र घीसा
6. धापू पत्नी घीसा (मृतक) जरिये वारिसान–
   6/1 ऐजी पुत्री धापू
   6/2 भूली पुत्री धापू
7. उगमा पुत्र सावंल (मृतक जरिये वारिसान):–
   7/1 रामदेव पुत्र उगमा
   7/2 माधू पुत्र उगमा
   7/3 किशनलाल पुत्र उगमा
   7/4 रामस्वरूप पुत्र उगमा
   7/5 झमकू देवी पुत्री उगमा
   7/6 सीता देवी पुत्री उगमा
   7/7 फूमा देवी पुत्री उगमा (मृतक जरिये वारिसन):–
   7/7/1 दुर्गा पुत्री फूमा देवी
   7/7/2 कन्हैयालाल पुत्र फूमा देवी
   7/7/3 मोना पुत्री फूमा देवी
   7/7/4 शीला पुत्री फूमा देवी
   7/7/5 गिरीराज पुत्र फूमा देवी
8. मिश्री पुत्र सावल (मृतक नाऔलाद):–
9. घासी पुत्र भागीरथ

   सभी जाति जाट निवासीगण ग्राम लोरडी तहसील मसूदा जिला अजमेर।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश तहसीलदार, मसूदा दिनांक 30–12–2010 एवं नामान्तरकरण
संख्या 1079 दिनांक 14–02–2010

————

उपस्थित– 1. श्री आकाश पारीक, राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी
2. श्री सहदेव चौधरी, प्रत्यर्थीगण सख्या 1 से 9

निर्णय

दिनांकः– 18–7–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण ने प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प दौलतपुरा प्रथम में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 9–12–2010 को शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष प्रस्तत कर निवेदन किया कि सेटलमेंट विभाग द्वारा खातेदारी भूमि को सिवायचक दर्ज कर दी गई इसे पुनः खातेदारी भूमि दर्ज किया जावे। इस पर नायब तहसीलदार, बिजयनगर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र पर निर्देशित किया गया। पटवारी हल्का बहादुरपुरा की रिपोर्ट दिनांक 9–12–2010 के आधार पर प्रत्यर्थीगण की खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर 797 मिन रकबा 18 बीघा सिवायचक दर्ज कर दी गई जिसका शुद्धि करने के तहसीलदार, मसूदा द्वारा आदेश दिनांक 30–12–2010 को पारित कर दिये। जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 1079 दिनांक 14–2–2011 प्रत्यर्थीगण के नाम स्वीकृत कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि उक्त तथ्य की जानकारी जिला कलक्टर अजमेर की जिला जन अभियोग सतर्कता समिति अजमेर में दिनांक 16–3–2012 को शिकायत दर्ज होने एवं शिकायत के परिपेक्ष्य में नायब तहसीलदार बिजयनगर की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर ध्यान में आया तथा उप तहसील बिजयनगर में समस्त रेकार्ड रहने से एवं तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा तहसीलदार, मसूदा को कोई जानकारी नहीं देने से अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है। उक्त प्रकरण का विधि परामर्शदात्री से परीक्षण कराने के पश्चात जानकारी दिनांक से अपील तैयार कर प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपीलार्थी के अधिवक्ता की मियाद के बिन्दु पर बहस का जवाब देते हुए निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम की धारा–5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जावे। ग्राम लोरड़ी तहसील मसूदा के साबिक खसरा नम्बर 797 रकबा 1037–15–00 बीघा किस्म बीड से हाल बने खसरा नम्बरें में से खसरा नम्बर 1344 रकबा 10–6–00 बीघा किस्म बीड व खसरा नम्बर 1350 रकबा 19–10–00 बीघा किस्म बीड बने। उक्त खसरा नम्बर वर्किंग जमाबंदी सम्वत 2041 से हाल चालू जमाबंदी सम्वत 2066–2069 में सिवायचक खाते में दर्ज थे। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2010 में दिनांक 9–12–2010 को ग्राम पंचायत मुख्यालय दौलतपुरा प्रथम में कैम्प आयोजित हुआ। प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 9 द्वारा शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा को सेटलमेंट विभाग द्वारा खातेदारी भूमि को सिवायचक दर्ज कर दी गई इसे पुनः खातेदारी भूमि दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया बाद पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट के पश्चात पुनः प्रत्यर्थीगण की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत है। तहसीलदार, मसूदा ने राजस्व रेकार्ड में आदेशानुसार आवश्यक शुद्ध प्रविष्टि दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील बिना किसी ठोस व सक्षम आधार के प्रस्तुत की गई है, इस कारण से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मियाद अधिनियम के स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रत्यर्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ ही मूल अपील को वर्तमान स्तर पर ही सव्यय खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर व प्रत्यर्थी अधिवक्ता की इस पर जवाबी बहस पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि प्रत्यर्थीगण द्वारा शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की जांच रिपोर्ट नायब तहसीलदार बिजयनगर से चाही गई थी। नायब तहसीलदार बिजयनगर द्वारा पटवारी हलका बहादुरपुरा एवं भू–अभिलेख निरीक्षक बिजयनगर को उक्त प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। भू–अभिलेख निरीक्षक बिजयनगर एवं पटवारी हलका बहादुरपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उल्लेख है कि उक्त खसरा नम्बरान पर प्रत्यर्थीगण का 35–40 वर्षो से कब्जा है कोई वाद विचाराधीन नहीं है। उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन तहसीलदार मसूदा श्री चांदमल चपलोत ने निर्णय आदेश दिनांक 30–12–2010 से प्रत्यर्थीगण संख्या 1 से 9 के नाम उक्त सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 1344 में से 6 बीघा व खसरा नबर 1350 में से 12 बीघा कुल 18 बीघा भूमि

के शुद्धिकरण के आदेश दिये जाकर पटवारी हल्का को पूर्व खातेदारी की भूमि को पुनः प्रत्यर्थीगण के खाते में दर्ज कर पालना प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1079 दिनांक 14–2–2011 से सिवायचक भूमि ग्राम लोरड़ी के खसरा नबर 1344 में से 1344/2 रकबा 6 बीघा खसरा नम्बर 1350/1 रकबा 12 बीघा कुल 18 बीघा भूमि गोपाल, हीरा, जीवराज, राकंवार, राकरण पि0 घीसा व धापू पत्नी घीसा व उगा, मिश्री पि0 सांवल व घासी पि0 भागीरथ कौम जाट साकिन देह खातेदार दर्ज की गई। उक्त प्रार्थना पत्र पर आदेश तत्कालीन तहसीलदार द्वारा दिये गये थे जबकि प्रार्थना पत्र शिविर प्रभारी एंव उपखण्ड अधिकारी मसूदा को प्रस्तुत किये गये थे। आदेश की पालना में नामान्तरकरण सर्किल ऑफिसर नायब तहसीलदार बिजयनगर द्वारा प्रस्तुत किया गया।

उनका यह भी तर्क है कि ग्राम लोरडी के खसरा नम्बर 1344 व 1350 कुल रकबा 29–16–00 बीघा किस्म बीड जमाबंदी सम्वत 2041 से हाल जमाबदी सम्वत 2066–69 तक सिवायचक खाते में दर्ज थी। उक्त सिवायचक भूमि को निर्णय दिनांक 30–12–2010 के शुद्धिकरण के आदेश से खातेदारी अधिकार प्रदान करना तहसीलदार के क्षैत्राधिकार से परे होने एवं सिवायचक भूमि में खातेदारी अधिकार देने से उक्त आदेश राज्यहित के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

उनका यह भी तर्क है कि तत्कालीन तहसीलदार मसूदा को उक्त आदेश जारी करने हेतु भू–राजस्व अधिनियम की धारा 136 एवं टिनेन्सी एक्ट की धारा 88, 188 के तहत अधिकार प्राप्त नहीं होने से उक्त आदेश नियम विरूद्ध होने से निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि तत्कालीन तहसीलदार मसूदा ने सिवायचक भूमि ग्राम लोरडी के खसरा नम्बर 1344 में से 1344/2 रकबा 6 बीघा खसरा नम्बर 1350 में से 1350/1 रकबा 12 बीघा कुल 18 बीघा भूमि सम्वत 2041 से सम्वत 2066 से 2069 में दर्ज सिवायचक भूमि को पटवारी, गिरदावर एवं नायब तहसीलदार बिजयनगर की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थीगण को शुद्धि का आदेश जारी कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये जो अवैध होने से निरस्तनीय है। चूंकि लैण्ड रेकार्ड रूल्स नियम 166 के तहत एक जमाबंदी से दूसरी जमाबंदी में लिपिकीय त्रुटि होने पर ही तहसीलदार को शुद्धि के अधिकार प्राप्त है। अतः उक्त विवादित आदेश अवैध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–12–2010 बिना विधिक प्रावधानों एवं प्रक्रिया व क्षैत्राधिकार से परे जाकर आदेश पारित किया गया है उक्त आदेश की पालना में दर्ज ग्राम लोरडी का नामान्तरकरण संख्या 1079 दिनांक 14–2–2011 राज्यहित में निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में आर.आर.टी 2015(1) पेज 10, आर.आर.डी जनवरी 2008 पेज 34 एवं आर.बी.जे (27) पेज 2020 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

अपीलार्थी के राजकीय अधिवक्ता की बहस का जवाब देते हुए प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता ने कथन किया कि ग्राम लोरड़ी तहसील मसूदा के साबिक खसरा नम्बर 797 रकबा 1037–15–00 बीघा किस्म बीड से हाल बने खसरा नम्बरों में से खसरा नम्बर 1344 रकबा 10–6–00 बीघा किस्म बीड व खसरा नम्बर 1350 रकबा 19–10–00 बीघा किस्म बीड बने। विवादित आराजियात 2016–19 में सिवायचक दर्ज कर दी गई। प्रशासन गांव के संग अभियान केम्प दौलतपुरा प्रथम में प्रार्थना पत्र शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष प्रस्तुत किया था। वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थीगण का ही कब्जा काश्त है। केम्प के दौरान ही पटवारी हलका व गिरदावर द्वारा कब्जे संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें सिवायचक से खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया। भू–प्रबन्ध विभाग ने किस्म व खातेदारी ही परिवर्तित कर दी। सम्वत 2020 से 2023 तक गैर खातेदारी की आराजियात दर्ज थी। सम्वत 2041 में वर्किंग जमाबंदी में सिवायचक दर्ज कर दी। ग्राम लोरडी के मिलान क्षैत्रफल अनुसार साबिक खसरा नम्बर 797 रकबा 1037–15–00 बीघा है। तहसीलदार मसूदा ने ही उक्त आदेश दिनांक 30–12–2010 जो कि एक प्रशासनिक आदेश है, की पालना में नामान्तरकरण खोला है और तहसीलदार ने ही अपील के माध्यम से चुनौती दी है। दोनों आदेशों की अलग–अलग अपील करनी चाहिए थी। भू–प्रबन्ध विभाग की कार्यवाही से पहले की जमाबंदियों में प्रत्यर्थीगण का नाम दर्ज था। अपीलार्थी की अपील मियाद बाहर होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थीगण ने प्रशासन गावों के संग अभियान केम्प दौलतपुरा प्रथम में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 9–12–2010 को शिविर प्रभारी एवं उपखण्ड अधिकारी मसूदा के समक्ष प्रस्तत कर निवेदन किया कि सेटलमेंट विभाग द्वारा खातेदारी भूमि को सिवायचक दर्ज कर दी गई इसे पुनः खातेदारी भूमि दर्ज किया जावे। इस पर नायब तहसीलदार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रार्थना पत्र पर निर्देशित किया गया। पटवारी हल्का बहादुरपुरा की रिपोर्ट दिनांक 9–12–2010 के आधार पर प्रत्यर्थीगण की खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर 797 मिन रकबा 18 बीघा सिवायचक दर्ज कर दी गई जिसका शुद्धि करने के तहसीलदार, मसूदा द्वारा आदेश दिनांक 30–12–2010 को पारित कर दिये उक्त आदेश की पालना में नामान्तरकरण संख्या 1079 दिनांक 14–2–2011 भी स्वीकृत कर दिया गया। तहसीलदार मसूदा द्वारा खसरा नम्बर 797 मिन रकबा 18 बीघा सिवायचक भूमि को पुनः प्रत्यर्थीगण की खातेदारी में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। तहसीलदार को उक्त आदेश जारी करने हेतु भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व टिनेन्सी एक्ट की धारा 88, 188 के तहत अधिकार प्राप्त नहीं होने से उक्त आदेश नियम विरूद्ध एवं क्षैत्राधिकार से बाहर होने के कारण त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।

यहां यह उल्लखनीय है कि ग्राम लोरडी के खसरा नम्बर 1344 में से 1344/2 रकबा 6 बीघा खसरा नम्बर 1350 में से 1350/1 रकबा 12 बीघा कुल 18 बीघा भूमि सम्वत 2041 से सम्वत 2066 से 2069 में दर्ज सिवायचक भूमि को पटवारी, गिरदावर एव नायब तहसीलदार बिजयनगर की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थीगण को शुद्धि का आदेश जारी कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये जो क्षैत्राधिकार से परे जाकर पारित किये है चूंकि लैण्ड रेकार्ड रूल्स नियम 166 के तहत एक जमाबंदी से दूसरी जमाबंदी में लिपिकीय त्रुटि होने पर ही तहसीलदार को शुद्धि के अधिकार प्राप्त है। तहसीलदार मसूदा द्वारा सिवायचक भूमि की जिसकी किस्म बीड़ है को परिवर्तित कर खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये है जो क्षैत्राधिकारविहीन होने से विधिसम्मत प्रतीत नहीं होते है क्योंकि राज्य सरकार द्वारा आवंटन/नियमन किये जाने वाली भूमियों की किस्म परिवर्तन हेतु समय–समय पर दिशा निर्देश परिपत्रों के माध्यम से जारी किये जाते है जिसके अनुसरण में राजस्व अधिकारी द्वारा पालना सुनिश्चित की जानी होती है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार, मसूदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–12–2010 एवं उक्त आदेश की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1079 दिनांक 14–2–2011 विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, मसूदा द्वारा पारित आदेश क्रमांक भू.अ./स.आ.का/2010/1171–73 दिनांक 30–12–2010 एवं उक्त आदेश की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1079 दिनांक 14–2–2011 क्षैत्राधिकारविहीन एवं त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 18–07–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर